कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।
ईमेल–cfoudn.ukfs@gmail.com, फोन नं0–05944–240071

पत्रांकः न–3 / एफ0एस0 / ऑनलाईन / 48 / 2020 दिनांक जून 17, 2020

स्वामी / प्रबन्धक
मै0 सेंट मारिया हायर सेकेण्डरी स्कूल,
आजादनगर बाजपुर,
ऊधम सिंह नगर।

विषय :– **अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।**

आपके प्रार्थनापत्र यूआईडी नं0–77310043 के अनुसार इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 04 फरवरी 2020 के माध्यम से आपके संस्थान को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस आधार पर निर्गत किया गया था कि निर्धारित समयावधि के भीतर संस्थान में मानक के अनुसार अग्निसुरक्षा व्यवस्था पूर्ण कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में आपके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र तथा प्रभारी अग्निशमन केन्द्र काशीपुर की निरीक्षण आख्या के अनुसार संस्थान में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन सुरक्षा के दृष्टिगत अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। इकाई के विस्तार / अतिरिक्त निर्माण करने पर तद्नुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

अतः मै0 सेंट मारिया हायर सेकेण्डरी स्कूल, आजादनगर बाजपुर, उधम सिंह नगर को अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 04 फरवरी 2020 से 03 फरवरी 2021 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगाः–

1 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
2 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4 भवन / संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
5 संस्थान के विस्तार / अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होंगी।
6 संस्थान में कम्प्यूटर लैब एवं अन्य लैब संचालित किये जाने पर कम्प्यूटर लैब में 02 अदद सीओ2 4. 5किग्रा क्षमता अन्य लैब में 01 अदद एबीसी क्षमता 05 किग्रा व 04 अदद सैण्ड बकेट तथा जनरेटर के पास 01 अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 05 किग्रा तथा 04 अदद सैण्ड बकेट निर्धारित प्लेटफार्म का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।

वंश बहादुर यादव
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
ऊधम सिंह नगर